

IS 19418 : 2025

Campus Facilities and Accommodation Services for Educational Organizations — Requirements

This Indian Standard specifies comprehensive requirements for campus facilities and accommodation services provided by educational organizations. It applies to campuses of all sizes and types, irrespective of geographical or socio-cultural contexts, with the objective of ensuring safety, inclusivity, accessibility, sustainability, and overall well-being of all members.

The standard outlines general management responsibilities, statutory compliance, and adoption of sustainable practices. It details requirements for core infrastructure such as drinking water, toilets, electricity, lighting, classrooms, laboratories, health and wellness centres, communication systems, hygiene, maintenance, and grievance redressal mechanisms. Special emphasis is placed on accessibility for persons with disabilities, mental health support, and clean, safe learning environments.

Additional provisions address accommodation services, including governance through Residence Governance Committees, resident welfare, dining services, safety, and prohibited activities within hostels. This standard also covers library services, common areas, sports facilities, transportation, parking, and environmental sustainability initiatives.

Further, it mandates structured safety and security frameworks aligned with national regulations, including fire safety, surveillance, and emergency preparedness. Overall, It serves as a holistic framework to help educational institutions create inclusive, secure, and high-quality campus ecosystems that support academic excellence and personal development.

IS 19418 : 2025

शैक्षिक संगठन के लिए परिसर सुविधाएँ और आवास सेवाएँ — अपेक्षाएँ

यह भारतीय मानक शैक्षिक संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली परिसर सुविधाओं एवं आवास सेवाओं के लिए व्यापक आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। यह सभी आकार एवं प्रकार के परिसरों पर लागू होता है, चाहे उनका भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश कुछ भी हो। इसका उद्देश्य सभी सदस्यों की सुरक्षा, समावेशन, सुगम्यता, सततता तथा समग्र कल्याण सुनिश्चित करना है।

इस मानक में सामान्य प्रबंधन दायित्वों, वैधानिक एवं नियामक अनुपालन तथा सतत प्रथाओं को अपनाने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें मूलभूत अवसंरचना से जुड़ी आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिनमें सुरक्षित पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, संचार प्रणालियाँ, स्वच्छता, रखरखाव तथा शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित शिक्षण परिवेश पर विशेष बल दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह मानक आवास सेवाओं से संबंधित प्रावधानों को भी शामिल करता है, जिनमें आवास प्रशासन समितियों के माध्यम से शासन व्यवस्था, निवासियों का कल्याण, भोजन सेवाएँ, सुरक्षा तथा छात्रावासों में निषिद्ध गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इसमें पुस्तकालय सेवाएँ, साझा क्षेत्र, खेल सुविधाएँ, परिवहन, पार्किंग तथा पर्यावरणीय सततता से जुड़ी पहलों को भी सम्मिलित किया गया है।

साथ ही, यह मानक राष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप संरचित सुरक्षा एवं संरक्षा ढाँचे को अनिवार्य करता है, जिसमें अग्नि सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था तथा आपातकालीन तैयारियाँ शामिल हैं। समग्र रूप से, यह मानक शैक्षिक संस्थानों को समावेशी, सुरक्षित एवं उच्च-गुणवत्ता वाले परिसर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायता करने वाला एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है।